# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. — 7/2016

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| जीवराज पुत्र रावतींगजी,जाति पुरोहित,निवासी रायथल,तहसील आहोर, जिला जालोर | | 1.स्व. रामदान पुत्र रावतींगजी, जाति पुरोहित, निवासी रायथल(फौत) के कायम मुकामः— 1/1.भंवरसिंह पुत्र रामदान, जाति पुरोहित, निवासी रायथल,तहसील आहोर, जिला जालोर 2.तहसीलदार आहोर 3.सरपंच/पदेन सचिव ग्राम पंचायत रायथल, तहसील आहोर |

अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—
1.श्री संजयखान व श्री रणजीतकुमार, अभिभाषक,प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1/1 की ओर से ।
3.श्री छोटूसिंह,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 की ओर से।
4.अप्रार्थी सं.3 अनुपस्थित।

आदेश — दिनांक 10.2.2020

1. प्रार्थी के अनुसार रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रायथल के गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा ,किस्म गैर मुमकिन गोचर को पिछले कई वर्षो से गांव के पशुओं के चराई हेतु उपयोग में लाई जा रही है। उक्त भूमि से सबंधित राजस्व प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तत्कालीन तहसीलदार आहोर के समक्ष चला जिसमें तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण में सनद जारी की जिसमें राजस्व ग्राम रायथल के गत खसरा नम्बर 176 रकबा 299 वर्गगज ,किस्म गैर मुमकिन गोचर से सबंधित भूमि की सनद अप्रार्थी सं.1—स्व. रामदान पुत्र रावतींगजी ,जाति पुरोहित के नाम से जारी की गई। उक्त सनद जारी करने के पश्चात् पूर्व में अप्रार्थी सं.1/1 के द्वारा उक्त गोचर भूमि पर मकान निर्माण कार्य

प्रारम्भ किया गया जिससे पशुओं के चराई हेतु काम में आने वाली उक्त गोचर भूमि निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के कारण उसकी किस्म के अनुरूप काम मे नही ली जा रही है एवं उक्त गोचर भूमि के पीछे स्थित आबादी में जाने का रास्ता भी अप्रार्थी सं.1/1 के द्वारा वर्णित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण बंद हो गया है जिससे यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। गत खसरा नम्बर 176 के नवीन खसरा नम्बर 1156/2836 रकबा 0.11 हे.बने जो वर्तमान में ग्राम पंचायत रायथल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं उक्त भूमि गोचर के प्रयोजनार्थ ही ग्राम पंचायत रायथल द्वारा काम में ली जा रही है। अप्रार्थी सं.1/1 द्वारा पूर्व में गत खसरा नम्बर 176 के बने नवीन खसरा नम्बर 1156/2836 पर मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाने पर प्रार्थी ने अपनी आपत्ति अप्रार्थी सं.2–तहसीलदार आहोर के समक्ष दर्ज करवाई तो अप्रार्थी सं.1/1 ने उक्त भूमि उसके पिताजी रामदानजी को तहसीलदार आहोर द्वारा प्रकरण सं. 47/1967 ,सरकार बनाम रामदान में आवंटित होना बताया है जबकि उक्त भूमि वर्तमान में भी ग्राम पंचायत के नाम से गोचर दर्ज है। प्रार्थी ने अपने पुत्र मानसिंह से तत्कालीन प्रकरण की पत्रावली सबंधित विभाग से प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तो सबंधित विभाग द्वारा यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि उक्त पत्रावली से सबंधित रैकार्ड अभिलेखागार में जमा नही हुआ है। तहसीलदार आहोर से आवेदन करने पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र यह कहकर लौटा दिया कि सबंधित अभिलेख तहसील कार्यालय आहोर में उपलब्ध नही है, तब प्रार्थी इस न्यायालय में रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश किया है,देरी कन्डोन हेतु अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का प्रकरण सं. 47/1967 , सरकार बनाम रामदान , निर्णय दिनांक 31.7.1967 में पारित आवंटन आदेश को अपास्त कर अप्रार्थी सं. 1–रामदानजी के नाम जारी सनद को खारिज कर अप्रार्थी सं.1/1 द्वारा उक्त गोचर भूमि पर निर्माण को हटाये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र ,धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ सनद की फोटो प्रति आदि की नकले पेश की, इस पर रेफरेन्स प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया लेकिन सबंधित रैकार्ड तहसीलदार आहोर से उपलब्ध नही कराया गया।

2. प्रार्थी के लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का जवाब अप्रार्थी सं. 1/1 के वकील द्वारा दिनांक 20.12.2017 को प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में यह तथ्य कही पर अंकित नही हैं कि वादग्रस्त सनद की प्रार्थी को जानकारी कब हुई एवं दिनांक को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई गई। इसी भूमि से सबंधित पूर्व में अन्य व्यक्तियों द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय में समान प्रकृति के रेफरेन्स पेश किये थे जिसमें 26 साल का विलम्ब होने से म्याद बाहर होने से खारिज किये थे। म्याद बाहर अपीलों में न्यायालय को गुणावगुण पर फाईन्डिग देने की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी का लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र 50 वर्ष की अवधि पार होने से खारिज किये जाने का आदेश करावे।

3. प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी सं. 1/1 की ओर से जवाब दिनांक 20.12.17 को पेश किया कि रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में रामदान के पुत्र भंवरसिंह पुत्र रामदान को अप्रार्थी सं.1/1 के रूप में पक्षकार बनाया गया है जबकि रामदान की दो पुत्रियां निर्मलादेवी एवं गीताकंवर को रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे प्रार्थी द्वारा पक्षकारों का असंयोजन कर सीपीसी के ऑर्डर 1 नियम 9 की पालना नही की गई है जबकि सीपीसी के उक्त नियम की पालना के अनुसार मुख्य पक्षकार का असंयोजन अथवा कुसंयोजन करने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कानूनन बांधित होने से पोषणीय नही रहता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र में रामदान की विधिक वारिसान् उनकी दोनो पुत्रियों निर्मला व गीता को सुनवाई का अवसर नही मिल जायेगा जिससे उनके हित भी विधिक रूप से प्रभावित होंगे । अप्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी नियमन भूमि सुदा ग्राम रायथल के पुराने खसरा नम्बर 176 के सबंध में एवं पुराने खसरा नम्बर 176के नवीन खसरा नम्बर 1156/2836 बने है एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1156/2836 की भूमि वर्तमान राजस्व रैकार्ड अनुसार ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है एवं ऐसी भूमि के सबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेत ग्राम पंचायत रायथल स्वयं सक्षम है जबकि वादग्रस्त भूमि के सबंध में ग्राम पंचायत रायथल को किसी भी प्रकार का उजर एतराज नही है एवं न ही राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। प्रार्थी न तो वर्तमान में ग्राम पंचायत का जन प्रतिनिधि है एवं न ही ग्राम पंचायत की ओर से अधिकृत व्यक्ति है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वादग्रस्त भूमि तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 31.7.1967 को निर्णय नियमन हेतु पारित किया है एवं प्रार्थी उक्त निर्णय में किसी भी प्रकार का पक्षकार

नही था,इसके बावजूद भी प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा धारा 96सी.पी.सी. के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र पेश नही किया है। रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा सनद की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु उन्मुक्ति दिये जाने बाबत् किसी भी प्रकार का प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है। सनद की फोटो प्रति प्रार्थी द्वारा कार्यालय अथवा विभाग से नियम विरूद्ध तरीके से प्राप्त की है, यह जांच का विषय है। सनद तत्कालीन तहसीलदार आहोर द्वारा राजस्व मुकद्मा सं. 47/67,दिनांक 31.7.67 में नियमन विरूद्ध निर्णय पारित करने के उपरान्त जारी की गई है। उक्त निर्णय को अस्तित्व में रहते हुए वादग्रस्त सनद को चैलेन्ज नही किया जा सकता। अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में ग्राम रायथल के पुराने खसरा नम्बर 176 की भूमि पर पुराना कब्जा होने से भूमि नियमन हुई थी एवं भूमि नियमन के बाद जरिये नामान्तरकरण सं.648 दिनांक 6.8.82 को भू प्रबन्ध के दौरान् तत्कालीन सहायक भू प्रबन्ध अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा सनद की पालना में राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं.1 के नाम नामान्तरकरण भी दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी का पिछले 50 वर्षो से नियमन होने के बाद की तिथि से आज दिन तक कब्जा है। उक्त भूमि को आबादी में संपरिवर्तन करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी गई है जिसकी कार्यवाही भी अन्तिम स्तर पर है। इसी खसरा नम्बर में अन्य कब्जाधारक के नाम जारी नियमनसुदा भूमि को जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में रेफरेन्स प्रकरण सं. 11/96 ,व 59/97 पेश किये थे जिनमें निर्णय दिनांक 30.3.98 द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को खारिज किये थे। रेफरेन्स प्रार्थनापत्र 50 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद पेश किया गया है जो खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र आधारहीन,सारहीन व कानून बाधित तथ्यों तथा तथ्यों से परे होने से खारिज किये जाने के आदेश करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । प्रार्थी के वकील ने बहस में बताया कि अप्रार्थी सं.1 स्व. रामदान को मौजा रायथल के खसरा नम्बर 176 में से 299 वर्गगज भूमि का निमयन कर सनद जारी की गई है जबकि उक्त भूमि गैर मुमकिन गोचर भूमि है । उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने से गोचर भूमि के पीछे जाने का रास्ता

बंद हो गया है। पुराने खसरा नम्बर 176 के नये खसरा नम्बर 1156/2836 बने है जो वर्तमान में ग्राम पंचायत रायथल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं उक्त भूमि गोचर के प्रयोजनार्थ ही ग्राम पंचायत रायथल द्वारा काम में ली जा रही है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1–स्व. रामदान को प्रकरण सं. 47/67, सरकार बनाम रामदान, निर्णय दिनांक 31.7.67 में जारी नियमन आदेश व जारी सनद को खारिज कर अप्रार्थी सं. 1/1 के निर्माण को हटाये जाने व उक्त नियमन व सनद जारी के पश्चात् भरे गये आज तक के नामान्तरकरण को खारिज करने के आदेश करावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1/1 के वकील ने बहस में बताया कि प्रार्थी ने स्व. रामदान की पुत्रियों निर्मलादेवी व गीताकंवर को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी न तो वर्तमान में ग्राम पंचायत का जन प्रतिनिधि है एवं न ही ग्राम पंचायत की ओर से अधिकृत व्यक्ति है। तहसीलदार आहोर के निर्णय दिनांक 31.7.67(प्रकरण सं.47/67)प्रार्थी पक्षकार नही था। प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश करने की अनुमति हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र पेश नही किया है। प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ सनद की प्रमाणित प्रति पेश नही की है तथा न ही उक्त प्रमाणित प्रति पेश करने से उन्मुक्ति हेतु कोई प्रार्थनापत्र पेश किया हैं। नियमन के पश्चात् तत्कालीन सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर ने नामान्तरकरण सं. 648 दिनांक 8.6.82 को अप्रार्थी सं.1 के नाम स्वीकृत किया है। प्रार्थी ने रेफरेन्स 50 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद पेश किया है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रायथल के गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन गोचर की भूमि आई हुई है, तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि में से 299 वर्गगज भूमि का नियमन कर अप्रार्थी सं.1–रामदान पुत्र रावतींगजी को सनद जारी की गई है,जिसके हाल खसरा नम्बर 1156/2836 रकबा 0.11 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम बने है।अप्रार्थी सं.1–रामदान को सनद कमांकःकेस/47/67 दिनांक **31.7.67** से जारी की गई है जिसमें राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र सं.:एफ 3/16/रेवे/बी/ ग्रुप–2/ 63 दिनांक 24.4.63 के अनुसार जारी की गई है। उक्त परिपत्र के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र सं.एफ. 6(117)राज/ख/64 दिनांक 10.12.1964के बिन्दु सं. 6पर अंकित

हैं कि चाही ,नहर या तालाबी के रूप में वर्गीकृत सिंचित भूमियों पर बनाये गये बाडे या खलियान, कुंज–निकुंज , फलोद्यान, बीड वन, परेड भूमियों ,कुछ तालाबों की पालें या तट–बन्धक, सडकें, रेले, नाले,चारागाह गोचर भूमिया, शमशान तथा कब्रिस्तान के रूप में स्थाई तौर से अभिलिखित भूमि विनियमित नहीं की जायेगी। अप्रार्थी रामदान पुत्र रावतींगजी, निवासी रायथल को गैर मुमकिन गोचर की भमि खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा,हाल खसरा नम्बर 1156/2836है, में से 299 वर्गगज भूमि का नियमन किया गया है जो गलत है। अप्रार्थी सं. 1–रामदान को जारी वाडा नियमन की सनद के आधार पर मौजा रायथल का नामान्तरकरण सं.648 दिनांक 8.6.82 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी व सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है। भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2017 में मौजा रायथल के गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2071–74में गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर के हाल खसरा नम्बर 1156/2836 रकबा 0.11 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम बने जो ग्राम पंचायत रायथल के खाते में दर्ज है। गैर मुमकिन गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमि है। यदि आदेश नियमों एवं प्रावधानों की अवहेलना करके किया गया हो एवं एब–इनिश्यो–वॉइड हो या लोकनीति (पब्लिक पॉलिसी) के विपरीत है तो म्याद की सीमा लागू नही होगी। हस्तगत प्रकरण की भूमि पशुओं की चराई हेतु उपयोग में लाई जा रही है जो पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध होने के साथ एब–इनिश्यो–वॉइड है।ऐसी स्थिति में म्याद सीमा लागू नही होगी। ऐसे आदेश को किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है। प्रथम,वाडा नियमन पर नामान्तरकरण खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। दोयम, नामान्तरकरण खोलते समय अप्रार्थी सं.1–रामदान को खातेदार दर्ज कर दिया,वाडा खुद ही एक गैर मुमकिन किस्म है जिसमें किसी प्रकार की काश्त किया जाना संभव नहीं है।वाडा आवंटन/नियमन के पश्चात् अप्रार्थी का नाम खसरा गिरदावरी के विशेष विवरण में पेंसिली दर्ज किया जाना चाहिये था, इसके बजाय नामान्तरकरण खोला जाकर खातेदार दर्ज कर दिया गया है जो नियमों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण सं. 648 काबिले खारिज

है। अतःरेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है। अतःप्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स कर निवेदन हैं कि ग्राम रायथल के विगत खसरा नम्बर 176 में अप्रार्थी सं.1–रामदान को वाड नियमन की सनद जारी की गई है, उसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 648 खोला जाकर स्वीकृत किया गया है जो नियमों के विपरीत है। अतः तहसीलदार आहोर द्वारा श्री रामदान पुत्र रावतींगजी के पक्ष में रायथल के खसरा नम्बर176 किस्म गैर मुमकिन गोचर की जारी **सनद** दिनांक 15.11.1969 तथा उसके आधार पर स्वीकृत **नामान्तरकरण सं. 648** जो तत्समय परिपत्र संख्याःएफ3/16/रेवे/बी/ग्रुप–2/63 दिनांक 24.4.63 के अधीन जारी निर्देश पत्र सं.एफ.6(117)राज/ख/64 दिनांक 10.12.64के बिन्दु सं. 6के विपरीत होने से निरस्त करावे तथा उक्त भूमि गैर मुमकिन गोचर दर्ज करावे। उक्त भूमि का रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन होने से अप्रार्थी सं.1 माननीय राजस्व मण्डल से कोई अग्रिम आदेश नहीं होने तक बैचान नही करें ,इसकी प्रति तहसीलदार आहोर को भेजी जावे। पक्षकारान् पैरवी हेतु माननीय राजस्व मण्डल में तारीख पेशी 5.5.2020 को उपस्थित रहे।

( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश ,आज दिनांक 10.2.2020को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर